XIV-Form No. 563.

20

| आदेश की कम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

**नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–55/2010**

**U/S 16, Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973**

1. सफावती देवी, पति–उमेश यादव
2. आभा कुमारी, पिता–सत्यनारायण यादव

सा0–चकला, वार्ड नं0–06, नगर पंचायत, बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ

——आवेदिका

**बनाम**

लाल बिहारी यादव, पिता–स्व0 मानिक मंडल
सा0–चकला, वार्ड नं0–04, नगर पंचायत, बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ

——विपक्षी

आवेदिका भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0–42/07–08 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा पीर अली चकला, थाना नं0–60, खाता नं0–81, खेसरा नं0–249, 250 एवं 231 रकवा–82 डि0, 87 डि0 एवं 28 डि0 कुल रकवा 1.97 एकड़ जमीन शांति मंडल, कनिक मंडल एवं मानिक मंडल तीनों के पिता–बलदेव मंडल के नाम सर्वे में दर्ज हुआ। आपसी बटवारा में प्रत्येक को 1/3 अर्थात् 65 2/3 डि0 जमीन प्राप्त हुआ। शांति मंडल को दो पुत्र सत्यनारायण यादव (आवेदिका सं0 2 के पिता) तथा उमेश यादव (आवेदिका सं0 1 का पति) था। सत्यनारायण मंडल अपने हिस्से का 7 डि0 जमीन आवेदिका सं0 1 के पक्ष में तथा उमेश यादव अपने हिस्से का 7 डि0 जमीन आवेदिका सं0 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड केवाला सं0 1127 एवं 1128 द्वारा दिनांक–01.02.07 को बिक्री किया। तदुपरान्त आवेदिका जमीन का नामान्तरण हेतु अंचल पदाधिकारी, बनमनखी को आवेदन दिया, जिसका अभिलेख सं0 330 यू0/07–08 था। अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी द्वारा स्थल जांच कर अंचल पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसी बीच विपक्षी द्वारा अंचल पदाधिकारी को नामान्तरण के विरूद्ध आवेदन दिया गया। अंचल पदाधिकारी विपक्षी के राजनीतिक प्रभाव में आकर अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन को नजरअंदान करते हुए विपक्षी के नाम जमीन का नामान्तरण कर दिये। अंचल पदाधिकारी के उक्त ओदश के विरूद्ध आवेदिका ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील वाद सं0 42/07–08 दाखिल किया। निम्न न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील वाद को खारिज कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। प्रश्नगत जमीन पर आवेदिका का दखल रहते हुए भी अंचल निरीक्षक एंव हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन को नजरअंदाज कर आदेश पारित करना नियम के अनुकूल नहीं हैं। अतः आवेदिका निवेदन करती है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से सुनवाई कर न्याय करने की कृपा करें।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया हैं।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 26.03.2012 को सुनवाई की गयी। विपक्षी हाजरी देने के बाबजूद भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

है कि विपक्षी प्रथम बार न्यायालय में दिनांक 11.06.2010 को उपस्थित होने के बाद लगातार अनुपस्थित थे। दिनांक 19.07.2010, 28.03.2011, 01.07.2011 एवं 03.02.2011 को न्यायालय में उनका अनुपस्थिति को देखते हुए प्रतिउत्तर जमा करने हेतु निदेश दिया गया। साथ–साथ 02 (दो) बार उपस्थित होने का अंतिम मौका भी दिया गया। इसके बाबजूद भी सुनवाई के दिन हाजरी देने के बाबजूद उपस्थित नहीं रहना स्पष्ट करता है कि विपक्षी को इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के पश्चात स्पष्ट है कि इस वाद में विपक्षी के द्वारा अपने पक्ष में कोई भी सबूत न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं दिया गया। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के आदेश का अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा निम्न न्यायालय में उठाये गये बिन्दु पर पूर्ण रूप से विचार किया गया नहीं प्रतीत होता है। इस परिप्रेक्ष्य में पुनः सुनवाई/स्थल निरीक्षण कर दखल–कब्जा के आधार पर विधिवत आदेश पारित करने का आदेश विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी को दिया जाता है। इसके साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ